कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या--वा0क0अधि0 / परिपत्र--मुन्सरिम / 130 / 2022 दिनांकः: लखनऊः: 18 जनवरी, 22

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के आदेशांक 1870 / 2021 दिनांक 03.12.2021 द्वारा माह जनवरी 2022 एवं आदेशांक 2003 / 22 दिनांक 04.01.2022 द्वारा माह फरवरी 2002 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया था। कोविड–19 के वैरियन्ट "ओमीक्रान" के व्यापक प्रसार के कारण राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश परिचालित किये गये है तथा विभिन्न बार एशोशियेसनों द्वारा कोविड–19 के कारण वर्चुअल मोड में नियत द्वितीय अपीलों की सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में टैक्स एड्वोकेट एशोशियेसन, सहारनपुर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 17.01.2022 द्वारा व्यक्तिगत रूप से सनुवाई कराने में अपनी असमर्थता प्रकट की है। झांसी टैक्स बार एशोशियेसन, सिविल लाईन, झांसी ने अपने पत्र दिनांक 10.01.2022 द्वारा वर्चुअल रूप से सुनवाई कराने का अनुरोध किया है। महानगर टैक्स बार एशोशियेसन, गाजियाबाद ने अपने प्रस्ताव दिनांक 07.01.2022 द्वारा कोविड–19 के कारण वर्चुअल मोड में सुनवाई कराने का अनुरोध किया गया है। टैक्स बार एशोशियेसन, लखनपुर, कानपुर ने अपने प्रस्ताव दिनांक 07.01.2022 द्वारा वर्चुअल मोड में सुनवाई तथा एकपक्षीय रूप से आदेश पारित न किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बंध में मेरे द्वारा पूर्व में परिपत्र संख्या 82 / 2022 दिनांक 12.01.2022 द्वारा समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में कोई विपरीत आदेश पारित न किये जाए।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं कोविड–19 महामारी एवं समय समय पर जारी शासन / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अधिकरण अधिष्ठान में गठित युगल पीठ जहां जहां बाहर से आगन्तुक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण नामित किये गये है उनके द्वारा वर्चुअल मोड में सुनवाई की जायेगी।

ऐसे समस्त सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि जिस स्थान पर खण्ड पीठ गठित की गयी है वहां के आगन्तुक सदस्यों को अपने स्तर से जूम एप / गूगल मीट एप पर लिन्क क्रियेट करके नामित आगन्तुक सदस्य को समयान्तर्गत उक्त लिन्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उक्त लिन्क सम्बंधित अधिवक्ता / व्यापारी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि आपस में सभी लोग निर्धारित तिथि एवं समय पर वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई सुनिश्चित कर सके।

ऐसे होस्ट सदस्यों **(जिन सदस्यों द्वारा लिन्क क्रियेट किया जायेगा)** का दायित्व होगा कि गठित युगल पीठ में नियत वादों का एक सेट नामित आगन्तुक सदस्य को विशेष पत्रवाहक द्वारा समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उक्त वर्चुअल व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।

ह0 / 18.01.2022
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या– पत्रांक एवं दिनांक तद्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर मुख्यालय।
4. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।
5. निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।